फर्द अहकाम

(नियम–26)

अज अदालत सहायक कलक्टर (एस.डी.एम.) मुकाम नावां (डीडवाना–कुचामन)

प्रार्थी / वादी — **अप्रार्थीगण / प्रतिवादीगण**

माधुराम उर्फ महादेव — **बनाम** — **लेखूराम वगैरह**

किस्म प्रकरण : वाद पत्र — मुकदमा नं. 79 / 2015

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये।
16.01.2026	पत्रावली आज तारीख पेशी से गिर कर पेश हुई। वकुलाय पक्षकारान को आवाजे लगवाई गई। परन्तु कोई पक्षकारान / अधिवक्तागण हाजिर नहीं आये। प्रकरण का अवलोकन किया गया। प्रकरण 2015 से लम्बित चल रहा है। प्रकरण के तारीख पेशी से गिर कर पेश होने पर प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त को मध्यनजर रखते हुये उपस्थिति / सुनवाई हेतु अवसर पक्षकारान को दिया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है। अतः मिसल वास्ते उपस्थिति इन्तजार पक्षकार / अधिवक्ता दिनांक 22.01.2026 को पेश हो। (दिव्या सोनी) उपखण्ड अधिकारी नावां (डीडवाना–कुचामन)	
22.01.2026	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी गैर आज भी हाजिर। वकील प्रार्थी को आवाजे लगवाई गई। परन्तु आज भी वकील प्रार्थी गैर हाजिर रहे है। प्रकरण दिनांक 30.06.2015 से प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 की लम्बित चल रहा है। इसलिए पत्रावली के तारीख पेशी से गिर पेश होने पर भी पैरवी में किसी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं दी गई है तथा ना ही बार–बार उपस्थिति हेतु अवसर दिये जाने पर उपस्थिम नहीं आ रहे है। प्रकरण में 1 से 6 से तलबी स्तर पर लम्बित चल रहा है। प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त को मध्यनजर रखते हुये प्रकरण में अन्तिम अवसर हिदायत के दिया जाता है कि प्रकरण में आगामी पेशी पर साबिका आदेश की पालना नहीं की जाने एवं प्रभावी पैरवी के अभाव में अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज किया जावेगा। मिसल दिनांक 30.01.2026 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी नावां (डीडवाना-कुचामन)	
30.01.2026	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय गैर हाजिर। बार–बार आवाजे लगवाई गई। परन्तु कोई पक्षकार / अधिवक्ता हाजिर नहीं आये। प्रकरण में पैरवी हेतु अधिवक्ता पक्षकारान को पर्याप्त अवसर दिये जाने पर उपस्थित नहीं आ रहे है ऐसा प्रतीत होता है कि पक्षकारान अधिवक्ता उक्त प्रकरण को चलाने के इच्छुक नहीं है। अतः साबिका आदेश 22.01.2026 की पालना नहीं की जाने एवं प्रकरण में बार–बार अवसर उपस्थिति हेतु दिये जाने के उपरान्त भी गैर हाजिर रहने से उक्त प्रकरण अदम हाजरी / अदम पैरवी एवं न्यायालय आदेश की पालना नहीं की जाने पर प्रकरण सीपीसी प्रावधान आदेश 09 नियम 05 के तहत खारिज किया जाता है। मिसल अपने नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी नावां (डीडवाना-कुचामन)	

Scanned with OKEN Scanner